कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी भीकनगाँव (सामान्य)

तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन (म.प्र.) E-mail sdoFTbhikangaon@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 1448 भीकनगाँव, दिनांक 02/12/2022

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डल अधिकारी महोदय,

वन मण्डल खरगोन (सामान्य)

विषय :– 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला, भुरीखोदरी मुण्डिया में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :– 1) आपका पत्र कमांक / मा.चि. / 2022 / 5599 खरगोन दिनांक 25.07.2022।

2) वन परिक्षेत्र चिरिया का पत्र क्रमांक / 2022 / 1189 चिरिया दिनांक 17.11.2022।

-------0000-------

मा.चि.

D.F.O Khargone 8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन मजरा टोला, भुरीखोदरी मुण्डिया में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य करने की स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/VELEC/154547/2022 की जॉच वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियो के साथ रहकर प्रभावित वनभूमि का मौका स्थल का निरीक्षण दिनांक 09.11.2022 को किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी, चिरिया के कार्यालयीन पत्र कमांक 1189 दिनांक 17.11.2022 का अवलोकन करने पर पाया गया कि, 11 के.व्ही. विद्युत लाईन विस्तार मजरा टोला, भुरीखोदरी मुण्डिया में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव के अन्तर्गत बीट चिरिया उत्तर के आरक्षित कक्ष कमांक 732 एवं कक्ष क्रमांक 733 में लम्बाई 3300 मीटर एवं चौड़ाई 03 मीटर में कुल वास्तविक रकवा 0.99 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित है। जिसका जी.पी.एस.रिडिंग प्रारंभिक बिन्दु N-21° 37’ 53.00“ E-75° 50’ 54.00“ अंतिम बिन्दु N-21° 37’ 57.00“ E-75° 50’ 13.00“ है। प्रस्तावित वनभूमि का मौका स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

10369 8-12-22

1. प्रस्तावित योजना स्थल के 02 फोटोग्राफ पत्र के साथ पृथक से संलग्न है।
2. योजना से प्रभावित वनभूमि की क़क्षवार लम्बाई एवं चौड़ाई की गणना करने पर बीट चिरिया उत्तर के कक्ष क्रमांक 732 एवं कक्ष क्रमांक 733 (वनग्राम मुण्डिया) में (लम्बाई 3300 मीटर एवं चौड़ाई 03 मीटर) कुल रकवा 0.99 हेक्टर वनभूमि प्रभावित होना प्रस्तावित है।
3. प्रस्तावित वनक्षेत्र में वन्य प्राणियों की गणना का विवरण (विगत वन्य प्राणी गणना के अनुसार) वन्य प्राणियों के नाम एवं संख्या की **जानकारी निरंक** पायी गयी है।
4. ऐतिहासिक / पुरातत्व धरोहर न होने का प्रमाण–पत्र पृथक से संलग्न है।

Scanned with CamScanner

5. वन संरक्षण अधिनियत 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र पृथक से संलग्न है।

6. प्रस्तावित योजना के कियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप पृथक से संलग्न है।

7. न्यूनतम उपयोगिता प्रमाण–पत्र पृथक से संलग्न है।

8. पोर्टल पर आनलाईन प्रस्ताव भाग–2 की प्रति में उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रतिवेदन में संलग्न किया गया है।

अतः वन परिक्षेत्र अधिकारी चिरिया से प्राप्त जांच प्रतिवेदन मय दस्तावेज से सहमत होते हुए जॉच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(दिनेश वास्केल)
उप वनमण्डल अधिकारी
भीकनगाँव

Scanned with CamScanner